सामाजिक पहचान में क़ानूनी प्रावधानों के मायने : ट्रान्सजेंडर के विशेष संदर्भ में अध्ययन

पीएचडी कोर्सवर्क प्रस्तुतिकरण

ललित कुमार

स्पष्टीकरण: ट्रान्सजेंडर टर्म को अनेक संदर्भों में प्रयुक्त किया जाता है लेकिन यहाँ पर ट्रान्सजेंडर टर्म का उपयोग हिजड़ा समुदाय के संदर्भ में किया जा रहा हैं। यदि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2014 के एतिहासिक निर्णय को पढ़े तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि भारतीय संदर्भ में ट्रान्सजेंडर शब्द का प्रयोग हिजड़ा/किन्नर समुदाय के लिए किया जाएगा । इस प्रस्तुतीकरण में ट्रान्सजेंडर शब्द का उपयोग हिजड़ा/किन्नर समुदाय के लिए किया जा रहा है ।

पहचान: हम सभी इस शब्द से परिचित है और इस शब्द को लगभग सभी आसानी से परिभाषित भी कर सकते है लेकिन क्या पहचान को इतनी आसानी से परिभाषित किया जा सकता है जितनी आसानी से हम इसे परिभाषित करते हैं ? क्या हमारी पहचान को किसी एक परिभाषा में समेटा जा सकता हैं? क्या हमारी एक पहचान है या फिर हम अपने आप में असंख्य पहचानों को समेटे हुए है ? ये सब सवाल सोचने में बड़े ही हल्के से लगते है लेकिन जीतने ये हल्के लगते हैं उसे अधिक वजनदार इनके जवाब होंगे।

हम इसे थोड़ा सरल रूप प्रदान करने का प्रयास करते हुए इसे सामाजिक पहचान के रूप में रखकर मिलकर समझने का प्रयास करते हैं। हमारी सामाजिक पहचान कि शुरुआत कहाँ से मानी जा सकती है? जन्म से। जन्म होने के बाद हम सभी को सबसे पहली पहचान लैंगिक पहचान के रूप में मिलती है जैसे आज से चार साल पहले जब मेरी बहन ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और जब मुझे मेरी माँ ने ये सूचना दी तो मेरा पहला सवाल था कि क्या हुआ ? मतलब लड़का या लड़की ?ये वास्तव में उस नवजात शिशु की सामाजिक पहचान की शुरुआत है जिसे इस दुनिया में आए हुए अभी कुछ ही पल हुए है। सवाल ये है कि क्या हमारी सामाजिक पहचान पर क़ानूनी प्रावधानों के कोई मायने है ? आज भारतीय समाज में ट्रान्सजेंडर को हेय कि दृष्टि से देखा जाता है। आज उनकी सामाजिक पहचान आपकी और मेरी सामाजिक पहचान से अलग है। क्या हमेशा से उनकी सामाजिक पहचान ऐसी थी ? उनकी वर्तमान सामाजिक पहचान में सवैधानिक क़ानूनी प्रावधाओं की क्या भूमिका रही है?

यदि हम ट्रान्सजेंडर के अस्तित्व के इतिहास में जाए तो चौकने वाले तथ्य सामने आते है। भारतीय समाज में ट्रान्सजेंडर समुदाय की स्वीकृति थी। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में कहा गया है विकृतिः एवम् प्रकृति अर्थात विकृति भी प्रकृति है। कामसूत्र के अध्याय चार में तृतीय प्रकृति का विवरण दिया

गया है । रामायण में रामचन्द्र द्वारा ट्रान्सजेंडर समुदाय को समाज में सम्मान जनक स्थान दिया जाने का जिक्र है हालाँकि ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। महाभारत में बृहन्नला, इरावना और शिखंडी का वर्णन हमें मिलता है । यदि हम सल्तनत और मुग़ल काल पर गौर करें तो ट्रान्सजेंडर को दरबार में उच्च स्थान प्राप्त था उदाहरण के लिए मलिक काफ़ुर को अल्लाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति बनाया था जिसने उस समय लगभग सम्पूर्ण भारत को जीत लिया था। सवाल उठता है जब समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था तो फिर एकदम से स्थिति कैसे बदल गयी?

18 वीं शताब्दी भारतीय समाज में तेजी से होने वाले बदलावों की सदी थी। भारत में अग्रेजी शासन अपने साथ एक नयी व्यवस्था लेकर आया जिसे *रूल ऑफ लॉ* के नाम से जाना जाता है। यह वास्तव में एक नयी तरह की व्यवस्था थी जिसने ये कहाँ कि क़ानून सर्वोपरि है और क़ानून के समक्ष सभी समान है। इस क़ानून व्यवस्था कि सबसे अहम कड़ी इंडियन पेनल कोड है जिसे रचना में लॉर्ड मकौले का अहम योगदान रहा। 1860 ईस्वी में लॉर्ड मकौले द्वारा इंडियन पेनल कोड का प्रारूप तैयार किया और 1860 में ही ब्रिटिश भारत में इसे लागू कर दिया गया। इंडियन पेनल कोड के दो क़ानूनी प्रावधानों ने भारतीय समाज एक हिजड़ा समुदाय की सामाजिक पहचान को नया आयाम प्रदान किया जो पहले के आयाम से अधिक विकृत थी। ये हैं इंडियन पेनल कोड की धारा 377 और क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। पहले पहल तो अंग्रेज़ शासक ये समझ ही नहीं पाये की ट्रान्सजेंडर समुदाय है क्या? 1871 ईस्वी में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया गया और इसके अधीन ट्रान्सजेंडर को रखा गया। 1897 ईस्वी में इस क़ानून में बड़ा बदलाव किया गया इसमें सब-टाइटल जोड़ा गया *एन एक्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल ट्राइब एंड यूनक्स* किया गया। धारा 377 कि भूमिका भारत में ट्रान्सजेंडर समुदाय के वर्तमान सामाजिक पहचान को आकार देने में अहम थी और आज भी है।

15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद होता है और भारतवासी अपने लिए गणतंत्रीय प्रणाली को अपनाते हैं। गणतंत्रीय प्रणाली की अपनी विशिष्टता यह है कि इस व्यवस्था में क़ानून का शासन सर्वोपरि होता हैं और क़ानून नागरिकों को अधिकारों को प्रदान करने का वचन देता हैं। साथ ही साथ उनके अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी देता हैं। यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावन पर गौर करें तो *न्याय, स्वतन्त्रता, समता, बंधुता* कुछ ऐसे प्रमुख शब्द है जो हमारे संविधान का आधार माने जा सकते हैं। संविधान का भाग तीन मूल अधिकारों से संबंधित है जिसके तहत अनुछेद 14 से 35 तक विभिन्न अधिकारों का वर्णन किया गया हैं। इन सभी अनुछेदों में से कुछ अनुछेद मानवीय गरिमा से सीधे संबंधित हैं। ये है अनुछेद 14, 15, 19, 21 व 21 (क)। बावजूद इनके ट्रान्सजेंडर समुदाय अपने मूल अधिकारों से क्यों वंचित है? क्योंकि हमारे संविधान लैंगिक रूप से केवल स्त्री एवं पुरुष को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान करता हैं। इसी लैंगिक पहचान के बल पर हम सभी राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली तमाम सुविधाओं का उपभोग कर पाते हैं। ख़ैर आजकल सरकार भारतीय

नागरिकों को एक नयी ही पहचान देने की कोशिश में लगी हुई है जिसके पास आधार नहीं है वह निराधार हैं। हम सभी के पास विभिन्न प्रकार के पहचान पत्र है और उन्हें हम सभी लोगों ने बड़ी ही आसानी से हासिल किया है लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे ना स्त्री माना जाता है और ना है पुरुष की श्रेणी में रखा जाता है, वह कैसे इन पहचान पत्रों को हासिल कर सकेगा? वह कैसे सरकार की विभिन्न जनकल्याण योजनों का लाभ उठा पाएगा?

15 अप्रैल 2014 भारतीय समाज के लिए एतिहासिक दिन था। इसी दिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिजड़ा/किन्नर समुदाय को तृतीय लिंग के रूप में क़ानूनी रूप से मान्यता प्रदान की। साथ ही साथ यह भी स्वीकार किया कि भारतीय नागरिक होने के नाते और एक इंसान होने के नाते जो अधिकार किनार/ हिजड़ा समुदाय को प्राप्त होने चाहिए वो प्राप्त नहीं हुए। 68 साल बाद भूल को सुधारते हुए ट्रान्सजेंडर के रूप में किन्नर / हिजड़ा समुदाय को ट्रान्सजेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। साथ ही साथ इस समुदाय की शैक्षिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए सरकार को दिशानिर्देशित किया गया। लेकिन हुआ क्या ? कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आए। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कोई एतिहासिक निर्णय आया है। भारत सरकार द्वार लंबे समय तक इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जिस सरकार का दायित्व प्रत्येक भारतीय नागरिक के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, वह काफी समय तक मौन रही। 12 दिसम्बर 2014 में राज्यसभा में विपक्ष के संसद सदस्य तिरुचि शिवा द्वारा प्राइवेट बिल पेश किया गया जिसे *ट्रान्सजेंडर राइट्स बिल 2014* के नाम से जाना जाता है। यह बिल 24 अप्रैल 2015 में सर्व सहमति से पास किया गया लेकिन सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि सरकार ट्रान्सजेंडर समुदाय के हितो के प्रति सजग है और वह एक बेहतर बिल ट्रान्सजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए लेकर आएगी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय द्वारा *ट्रान्सजेंडर राइट्स बिल 2016* तैयार किया गया एवं इस पर विचार जानने के लिए जनता के बीच रखा गया। इस बिल में न केवल सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की अनदेखी की गयी है बल्कि ट्रान्सजेंडर बिल 2014 के सुझावों को अनदेखा किया गया है।

हमने यह समझने का प्रयास कि कैसे सामाजिक पहचान को क़ानूनी प्रावधान न केवल प्रभावित करते है अपितु उसे नए आयाम भी प्रदान करते है। ट्रान्सजेंडर समुदाय के संदर्भ में यह अध्ययन ट्रान्सजेंडर समुदाय की सामाजिक पहचान में क़ानूनी प्रावधानों की भूमिका को समझने में सहायक सिद्ध होती हैं।